न्यायालय—सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

JO Code-UP 6081

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—288/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0—735/2026

(CNR UPLP 0100 1346-2026)

दीपक सिंह आयु लगभग 30 वर्ष पुत्र लालजी उर्फ लाल सिंह निवासी ग्राम अहमद नगर थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मुकदमा अपराध संख्या—224/2019
अन्तर्गत धारा 379, 411 भा0द0सं0,
थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी।

06.03.2026

1— प्रस्तुत जमानत प्रार्थना—पत्र, प्रार्थी/अभियुक्त दीपक सिंह की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—224/2019 अन्तर्गत धारा 379, 411 भा0द0सं0, थाना हैदराबाद, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2— जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना—पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3— संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी प्रदीप कुमार द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 14.06.2019 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 13.06.2019 को वह अपनी ससुराल नरौठा थाना खुटार जनपद शाहजहांपुर से अपने घर आ रहा था रास्ते मे सेखनापुर के पास मोटर साइकिल बिना नम्बर जिसको वह अपने साले गुड्डू से मांग कर अपने घर आ रहा था कि रास्ते मे सरकारगढ़ से सेखनापुर के बीच समय करीब 9:00 बजे रात्रि मे मोटर साइकिल खड़ी करके पेशाब करने लगा इतने मे तीन व्यक्ति आए और मोटर साइकिल लेकर चले गए। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 379 भा0द0सं0 में पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया तथा मामले में धारा—411 भा0द0सं0 की वृद्धि की गयी।

4— प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसको उपरोक्त मुकदमें में गलत तरीके से फंसा दिया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त का कथित अपराध से किसी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामित नही है उसके पास से कोई बरामदगी नही हुयी है कथित बरामदगी फर्जी है। प्रार्थी / अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है वह दी गयी जमानत सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेंगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की मोटर साइकिल चोरी की गयी है, जिसकी बरामदगी भी हुई है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रार्थी / अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामित नही है। तहरीर में वर्णित कथनानुसार दिनांक 13.06.2019 को वादी अपनी ससुराल नरौठा से अपने घर आ रहा था रास्ते मे सेखनापुर के पास मोटर साइकिल बिना नम्बर जिसको वह अपने साले गुड्डू से मांग कर अपने घर आ रहा था कि रास्ते मे सरकारगढ़ से सेखनापुर के बीच समय करीब 9:00 बजे रात्रि मे मोटर साइकिल खड़ी करके पेशाब करने लगा इतने मे तीन व्यक्ति आए और मोटर साइकिल लेकर चले गए। फर्द बरामदगी मे घटना से लगभग 17 दिन बाद जनपद सीतापुर की पुलिस द्वारा प्रार्थी / अभियुक्त एवं सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना तथा प्रार्थी / अभियुक्त के पास से मामले में चोरी गयी मोटर साइकिल बरामद होना दर्शित किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त जनपद सीतापुर मे अन्य मामले मे निरूद्ध था, इसलिए न्यायालय द्वारा विवेचक के अनुरोध पर उन्हे जरिए बी वारण्ट पर जनपद सीतापुर से तलब कर इस मामले मे निरूद्ध किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 09.11.2020 से जिला कारागार में निरूद्ध है। जहॉ तक अभियोजन पक्ष की ओर से प्रार्थी / अभियुक्त का 9 मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि

अभियोजन पक्ष ने कोई भी ऐसा दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की पूर्व में दोषसिद्धि प्रमाणित होती हो।

8– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त दीपक सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मु0–75,000/–रूपये का स्वबंधनामा तथा समान राशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1–प्रार्थी मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2–प्रार्थी विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3–प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभू के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभू के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

(अशोक कुमार दुबे–प्रथम)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
06.03.2026